

अपर समाहर्ता का न्यायालय, दुमका ।

रे०मि० रिजीजन सं० 18/11-12

मनैजर मियाँ.....आवेदक

बनाम

दिनेश किस्कु.....विपक्षी

।।आदेश।।

22/11/17

उभय पक्षों, की उपस्थिति नहीं है।

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय पक्ष कई तिथियों से न्यायालय में बिना कारण बताए अनुपस्थित है, उभय पक्षों पर निर्गत नोटिस पर प्रोसेस पियुन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दोनों पक्ष नोटिस लेने से इन्कार किया। इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना विचारण समाप्त किया जाता है।

लेखापित

अपर समाहर्ता,
दुमका ।

अपर समाहर्ता,
दुमका ।